

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईक्तादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 450/2023

वाद पत्र अं. धारा 53/88 आर.टी.ए.

अवतार सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

1. जगदेवसिंह पुत्र नायबसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया
2. जसकरण सिंह पुत्र नायबसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया
3. जसवन्तसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया
4. बलदेवसिंह पुत्र नायबसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया
5. जसविन्द्रसिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया
6. रजवन्तसिंह पुत्र अजायबसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया
7. रेशमसिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया
8. राजवीरसिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया
9. दर्शनसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया
10. एसबीआई बैंक शाखा, नई धान मण्डी सादूलशहर, जरिए मैनेजर
11. एसबीआई बैंक शाखा, सादूलशहर जरिए मैनेजर
12. एसबीआई बैंक शाखा, संगरिया जरिए मैनेजर
13. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 1-7-2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु
हजारि बहाजरी श्री औमप्रकाश शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री वकील प्रतिवादी संख्या 1,2,4 ता 9 मिन
जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक
अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

नाम काशतकार मय वल्दियत एवं सकूनत	चक का नाम खातों का विवरण	राजस्व रिकार्ड अनुसार रकबा	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा
अवतार सिंह पुत्र बलवन्त सिंह 1.771 हि. 2 जगदेव सिंह पुत्र नायब सिंह 0.258 हे. राहिन एसबीआई नई धान मण्डी सादूलशहर 3	प.मं. शाहपीनी के चक 15 एमजेडी के खाता सं. 85/60 खाते का योग 11. 385 हेक्. (विवादित श्रेणी का है)	1.771	अवतार सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी	प.न. 121/174 मु.न. 40 का कि.न. 6,14,15,16,17, 24,25/1.771, कुल-1. 771 हेक्.
जसकरण सिंह पुत्र नायब सिंह 0.903 हि. एसबीआई नई धान मण्डी सादूलशहर		0.258	जगदेव सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी राहिन एसबीआई नई धान मण्डी सादूलशहर	प.न. 121/171 मु.न. 42 का कि.न 1,10/0.506 कुल-0.506 हेक्.
4 जसवन्त सिंह पुत्र करनैल सिंह 2.087 हि. एसबीआई नई धान मण्डी सादूलशहर 5 जसविन्द्र सिंह पुत्र करतार सिंह 1. 305 हि. 6 बलदेव सिंह पुत्र नायब सिंह 0.903 हि. एसबीआई नई धान मण्डी सादूलशहर 7 मनजीत कौर पत्नि दर्शन सिंह 1.012 हि. 8 रजवन्त सिंह पुत्र		0.903	जसकरण सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जट सिख नि. शाहपीनी राहिन एसबीआई नई धान मण्डी सादूलशहर	प.न. 122/174 मु.न. 39 का कि.न. 1/0.228, 1/2/0.025 गै.मु. खाला, 10, 11/0.506 कुल- 0.759 हेक्.
		0.903	बलदेव सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी राहिन एसबीआई नई धान मण्डी सादूलशहर	प.न. 121/171 मु.न. 10 का कि.न. 11, 20, 21, 22 / 1.012, प.न. 121/172 मु.न. 21 का कि.न. 1/1/0.228,

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया




रजव सिंह 2.064 हि. आरएमजीबी न लशहर 9 रेशम सिंह 1. हि राहिन एसबीआई रिया 10 राजवीर सिंह दर्शन सिंह 0.506 हि. न एसबीआई शाखा रिया खातेदार			1/2/0.025 गै.मु. खाला कुल-1.265 हेक्.
	2.024	रेशम सिंह पुत्र दर्शन सिंह 1.518 हि. राजवीर सिंह पुत्र दर्शन सिंह 0.506 हि. जाति जट सिख निवासी शाहपीनी राहिनान एसबीआई शाखा संगरिया खातेदार	प.न. 121/175 मु.न. 50 का कि.न. 3,5,6,8,13,15, 16, 18/2.024 कुल-2. 024 हेक्.
	2.064	रजवन्त सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जट सिख निवासी निवासी शाहपीनी राहिन आरएमजीबी सादूलशहर	प.न. 120/171 मु.न. 9 का कि.न. 5,6,15, 16,25 /1.265, प.न. 122/173 मु.न. 30 का कि.न. 20,21/0.506 कुल-1. 771 हेक्.
	2.087	जसवन्त सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी एसबीआई नई धान मण्डी सादुलशहर	प.न. 120/171 मु.न. 9 का कि.न. 4,7,14,17,24 /1.265 प.न. 120/172 मु.न. 22 का कि.न. 4/0. 253, प.न. 121/173 मु. न. 29 का कि.न. 16,25/0.506, प.न. 121/174 मु.न. 40 का कि.न. 5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु. खाला कुल-2.277 हेक्.
	1.305	जसविन्द्र सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी	प.न. 120/172 मु.न. 22 का कि.न. 5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु. रास्ता, प.न. 121/171 मु.न. 10 9,12,19/0.759 कुल-1.012 हेक्.

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/4802 दिनांक 24.12.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज...~~...~~मुल्लिक...~~...~~बाबत...~~...~~खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक...~~...~~को अदा करे।

वसूत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...1.7.2025...को खुले न्यायालय में जारी किया गया।


 (जय कौशिक)
 सहायक कमिश्नर एवं
 उपसहायक अतिरिक्त
 संगरिया